Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 02, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.02.12.12
Multidisciplinary, Open Access

राजनीतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण– डॉ० लोहिया के संदर्भ में

डॉ. अर्चना मिश्रा
असि0 प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग) शिया पी0जी00 कॉलेज, लखनऊ

चौखम्भा राज्य योजना के विषय में डॉ० लोहिया के मत को स्पष्ट करते हुए इन्दुमति केलकर का कहना है कि चौखम्भा शासन व्यवस्था न केवल जीवन का एक सुन्दर मार्ग है, अपितु यह भ्रष्टाचार उन्मूलन का एक मार्ग भी है। अधिक शक्ति किसी के पास केन्द्रित रहने से भी भ्रष्टाचार को बल मिलता है और चार स्तरों पर अधिकारों का बंटवारा कर देने से भ्रष्टाचार स्वयं धीरे–धीरे समाप्त हो जायेगा। फिर यही नहीं इस स्तर पर छोटे छोटे हल्कों के लोग भी शासन व्यवस्था में खुलकर हिस्सा लेने जब जायेगें, जिससे लोगों का शासन से नकारात्मक सम्बन्ध जो आज है, वह समाप्त हो जायेगा।

डॉ० लोहिया की धारणा थी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रारम्भिक संस्थाओं की स्वायत्ता सत्ता विकेन्द्रीत राज्य की प्रवृत्ति प्रशासकीय कुशलता के लिए अभिष्टकर है क्योंकि यह व्यक्ति की आत्माभिव्यक्ति के अवसर को अवरूद्ध करती है जबकि सत्ता के विकेन्द्रीकरण से प्रशासकीय अंगों में नयी शक्ति का संचार होता है और व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा अनुभवों के अभिव्यक्तिकरण हेतु अधिक से अधिक अवसर मिलते है। अतः डॉ० लोहिया ने भी रसेल, हक्सले, लॉस्की एवं गांधी जी की तरह सत्ता के विकेन्द्रीकरण का समर्थन किया।

डॉ० लोहिया का विचार या कि वर्तमान दो पदों (केन्द्र एवं राज्य) वाली प्रशासन प्रणाली में सत्ता का वितरण केन्द्र के पक्ष में होता है जो कि जनतंत्रीय भावना के विपरीत है। अतः उन्होंने जनतंत्र की आत्मा को साकार करने के लिए चौखम्भा राज्य की परिकल्पना प्रस्तावित की। गांधी जी 'ग्राम स्वराज्य' के अमूर्त सिद्धान्त को भी उनकी इस योजन के द्वारा व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सकता है गांधी जी चाहते थे कि हरिजन की बेटी प्रधानमंत्री बने परन्तु डॉ० लोहिया का कहना था कि जातिवाद से ग्रस्त देश में इसे एकदम से

Received: 26.10.2019 **Accepted:** 19.11.2019 **Published**: 20.11.2019

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 02, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.02.12.12
Multidisciplinary, Open Access

व्यावहारिक नहीं बनाया जा सकता। अतः उन्होंने चार स्तरों की बात की जिसमें हरिजन की बेटी को पहले गाँव के स्तर पर, फिर जिला, बाद में राज्य स्तर पर प्रधान बनाया जाये। अंत में उसे सम्पूर्ण देश की प्रधानमंत्री बनाना कठिन नहीं होगा।

इसी तरह गाँव के स्तर से चौखम्भा शासन व्यवस्था प्रारम्भ होकर सभी स्तरों पर अमल में लायी जा सकेगी। लोकतंत्र को राजनीतिक स्तर पर साकार करने के लिए राजसत्ता की केन्द्र, प्रान्त मण्डल जा जनपद तथा ग्राम इन चार स्तरों पर विकेन्द्रीय किया जायेगा। लोहिया की धारणा थी कि लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना के लिए समुदायों की सरकार स्थापित की जानी चाहिए। डॉ० लोहिया का कहना था कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार को प्राप्त करने के लिए हमें समुदाय का, कस्बा एवं गाँव, समुदाय के लिए, समुदाय के द्वारा सरकार का निर्माण करना होगा।

डॉ0 लोहिया द्वारा प्रतिपादित चौखम्भा राज्य की विशिष्टता इसके समस्त पदों का समान रूप से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होना है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कोई भी पद किसी भी दूसरे पर से कम महत्व या कम शक्ति का नहीं है। पद अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होने तथा एकता के सूत्र में बंधे रहेगें। उनके मतानुसार बौखम्भा राज्य की कल्पना में स्वावलम्बी गाँव की ही नहीं वरन् समझदार और जीवित गाँव की धारण है, यद्यपि दोनों विचार अनेक स्थानों पर एक दूसरे से मिल जाते है।

चारों पदों का महत्व समान होने पर भी राज्य के केन्द्रीय अंग के पास इतनी पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए कि वह राज्य की अखण्डता एवं एकता को कायम रख सके तथा अवशेष शक्ति विभाजित की जाय।

डॉ० लोहिया के अनुसार चौखम्भा राज्य के अन्तर्गत राष्ट्र का सम्पूर्ण राज्य चार भागो ग्राम, मण्डल, प्रान्त एवं केन्द्र जायेगा। तथा मण्डलीय पंचायतों को व्यय के पर्याप्त धन

Received: 26.10.2019 **Accepted:** 19.11.2019 **Published**: 20.11.2019

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 02, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.02.12.12
Multidisciplinary, Open Access

उपलब्ध कराया जा सकता है। उनका कथन था जब पैसा नहीं होगा तब तक जनतंत्रीय को संस्थाओं को काम–काज करने का मौका नहीं मिलेगा।

इस शासन व्यवस्था कौन सी व्यवस्था किसके हाथ में होगी? इस विषय में उनका कहना था लस्कर मध्यवर्ती सरकार हाथ में बुनियादी पुलिस के हाथ लेकिन और पुलिस जिला एवं गाँव पैमाने के कारखाने जिला काबू मध्यवर्ती सरकार निश्चित कर सकती लागत पूंजी और श्रम परिणाम, जिला ग्राम सकते है।

डॉ० लोहिया जिलाधीश के पद को समाप्त करने की बात करते क्योंकि उसके पास अत्यधिक शक्ति होती जिसके कारण वह निरंकुश बन सकता है। उनका विचार था कि पद पर मण्डल एवं गाँवों से चुने पंचों को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए।

डॉ० लोहिया के अनुसार प्रशासकीय शक्ति के साथ ही विद्यार्थियों को भी सभी स्तरों पर विकेन्द्रीत किया जाना चाहिए। उनके मत चौखम्भा व्यवस्था कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों प्रकार की व्यवस्था है। मण्डल एवं ग्राम पंचायतों को सतर्कतापूर्वक व्यवस्थापन के अधिकार दिये जाने चाहिए, जिससे वे स्वयं अपना मार्ग तय कर सके।

परन्तु यह उल्लेखनीय कि डॉ० लोहिया द्वारा प्रतिपादित चौखम्भा राज्य परिकल्पना के आत्मनिर्भर ग्राम एवं ग्राम गणराज्य का स्वरूप उस तरह नहीं है जैसी कल्पना गांधी जी ने थी। डॉ० लोहिया के अनुसार अत्मनिर्भर ग्राम गणराज्य का विचार वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। देश के समस्त गाँवों में आपसी सम्पर्क होना चाहिए और अन्ततः विश्व पैमाने पर भी गाँवों के सम्पर्क आवश्यक है। इस प्रकार पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो नहीं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सहयोगी ग्रामों के निर्माण से ग्राम स्वराज्य की कल्पना व्यावहारिक बनाई जा सकती है।

डॉ० लोहिया समाज को शीघ्र एवं सत्ता न्याय दिये जाने के भी समर्थक थे। उनका मत था कि एक समित गठित की जानी चाहिए जो वर्तमान कानूनों पर पुनर्विचार करके उनमें से

Received: 26.10.2019 **Accepted:** 19.11.2019 **Published**: 20.11.2019

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 02, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.02.12.12
Multidisciplinary, Open Access

अप्रजातांत्रिक तत्वों को बहिष्कृत करें। वे उच्च न्यायलयों तथा लोक सेवा आयोगों की संख्या कम करके उनका कार्यक्षेत्र विस्तृत करना चाहते थे। उनके अनुसार न्यायपालिका को कार्य पालिका की अधिनता तथा प्रभाव से मुक्त हेतु तत्काल कदम उठाया जायेगा।

वास्तव में डॉ० लोहिया द्वारा प्रतिपादित इस योजना में गाँधी जी के ष्स्वावलम्बी ग्रामोंष तथा वर्तमान केन्द्रीय संघीय शासन पद्धति का संतुलनपूर्ण संश्लेषण है। इस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति प्रारम्भिक समुदायों को विस्तृत अधिकार प्रदान कर उनमें उत्तरदायित्व, आत्मसम्मान, नैतिकता तथा सृजनशीलता जैसे गुणों के विकास पर दिया जाता है। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था में व्यक्ति व्यक्तिहीन हो जाता है परन्तु विकेन्द्रीत शासन प्रणाली में व्यक्ति अपने तथा अपने राष्ट्र के निर्माण में पूर्ण योगदान दे सकता है। इस योजना में राजसत्ता को व्यक्ति के लिए उपयोगी बनाने का विचार निहित है। यह योजना विशेष रूप से एशियाई तथा पिछड़े राष्ट्रों के लिए उपयोगी है जिसके नागरिक शताब्दियों से परतंत्रता, विषमता, शोषण एवं अत्याचार के शिकार रहे है। उनमें उत्तरदायित्व सृजनशीलता तथा अधिकारों के प्रति चेतना आगृत करने में विकेन्द्रीत शासन प्रणाली से ही अवसर प्राप्त हो सकते

चौखम्भा राज्य की योजना भारतीय स्थिति के पूर्णतः अनुकूल है। भारत एक ग्राम प्रधान देश है अतः यहाँ ग्रामों को महत्व देना आवश्यक है। इस विषय में डॉ० लोहिया का कहना था चौखम्भा राज्य का आधार भी यही है कि जितने गाँव है उनमें अधिकारों एवं शक्तियों का विभाजन कर गाँव संगठन में विश्वास पैदा करें। राज्य को शक्ति तो प्राप्त होनी ही चाहिए किन्तु उसका छोटी इकाइयों में विभाजन भी उतना ही महत्वपूर्ण एवं जरूरी है। मैं किसी और अन्य तरीके से भारतीय जीवन में बदलाव नहीं चाहता हूँ।

संदर्भ ग्रन्थ– सूची

1. इंदूमति केलकर लोहिया सिद्धान्त एवं फर्म, नवहिन्द प्रकाशन, हैदराबाद, 1963, पृ0197–98

Received: 26.10.2019 **Accepted:** 19.11.2019 **Published**: 20.11.2019

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC)
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre
ISSN: 2582-2004
Volume 02, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.02.12.12
Multidisciplinary, Open Access

2. हैरिस बुफोर्ड लोहिया एण्ड अमेरिका मीट, पृ0 21
3. डॉ लोहिया आन द मूब, प्रोग्रेसिव पब्लिसिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1952, पृ० 11
4. डॉ० लोहिया फ्रेगमेन्ट्स आफ ए वर्ल्ड माइण्ड, पृ० 93
5. इंदुमति केलकर लोहिया सिद्धान्त एवं फर्म, पृ० 198
6. डॉ० लोहिया फ्रेगमेन्टस आफ वर्ल्ड माइण्ड, पृ० 70
7. डॉ० लोहिया मार्क्स, गांधी एण्ड सोशलिज्म, पृ० 410
8. डॉ० लोहिया फ्रेगमेन्टस आफ वर्ल्ड माइण्ड, पृ0 93

Received: 26.10.2019 **Accepted:** 19.11.2019 **Published**: 20.11.2019

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.